राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2445/2024 ललिता मुण्डोतिया	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू डिवीजन, चूरू। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर।	30.07.2024	श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक
2.	2446/2024 जुगल किशोर कुलदीप	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक, सीकर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर।		
3.	2615/2024 महावीर प्रसाद	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं 2 3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुंझुनू। 4. प्रधानाचार्य, सेठ हनुमानदास मानसिंहका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवलगढ़, जिला झुंझुनू।	23.08.2024	श्री विजय पूनिया, अभिभाषक
4.	2616/2024 रणधीर सिंह	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बिबासर, जिला झुंझुनू।		
5.	2617/2024 श्रीचंद सिंह	उपर्युक्तानुसार प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 एवं 3 4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Dorasar, जिला झुंझुनू।		

आदेश की दिनांक : 08.10.2024

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2445/2024 ललिता मुण्डोतिया बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में

शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.06.1993 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई और उसे राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, लोसल, जिला सीकर पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 16.10.1997 के द्वारा अपीलार्थी को प्रयोगशाला सहायक के पद से अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया और उसे अध्यापक के पद पर पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 22.06.2004 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2003 से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया तथा आदेश दिनांक 19.03.2012 के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 02.07.2011 से 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया तथा आदेश दिनांक 03.12.2016 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी ने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उनका यह भी कथन है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अंतर्गत आदेश दिनांक 05.07.2013 के द्वारा अध्यापक का वेतनमान ग्रेड पे 3600 की गई और 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 किया गया है। परंतु अपीलार्थी की 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने उपरांत उसे ग्रेड पे 5400 का लाभ प्रदान नहीं किया जबकि अपीलार्थी उक्त चयनित वेतनमान के आधार पर 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ग्रेड पे 5400 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिकरण द्वारा अपील संख्या 588/2020 अनिल चंद गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2020 जिसमें ऐसे कार्मिकों की 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ ग्रेड पे 5400 दिया जाना उचित माना है। अपीलार्थी भी 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ ग्रेड पे 5400 प्राप्त करने का हकदार है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ दिये जाने से वंचित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को उसकी सेवाओं की गणना करते हुये 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 दिया जाने का आदेश फरमाये

जावें और अपीलार्थी से यदि कोई उक्त मामले के संबंध में वसूली की गई है तो उसे वापिस लौटाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थी को नियमानुसार अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद की 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा चुका है और इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियम विरूद्ध है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 24.06.1993 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 16.10.1997 के द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर अपीलार्थी को समायोजित किया गया। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। जो प्रयोगशाला सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हो गए हैं वे अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचनानुसार इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित समस्त अपीलें स्वीकार की जाती हैं एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थीगण की 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवायें पूर्ण होने पर नियमानुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 प्रदान किया जावे और यदि उक्त नियमानुसार उक्त ग्रेड पे प्रदान की गई हैं तो उक्त मामले के संबंध में अपीलार्थीगण से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उनसे कोई राशि वसूल की गई हो तो उक्त राशि उन्हें तीन माह की अवधि में लौटाई जाए। यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किए जाएं। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह सुनिश्चित करे।

मूल आदेश अपील संख्या 2445/2024 ललिता मुण्डोतिया बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष